

विज्ञापन संख्या (03/डी0आर0/सेवा-1/2009-10)



उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404

विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि – 04 जुलाई, 2009
आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि – 04 अगस्त, 2009

उत्तराखण्ड शासन के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत निम्नानुसार वर्णित पदों हेतु भारतीय नागरिकों से इस विज्ञापन के अन्त में मुद्रित फार्मेट पर मोटे फुलस्कैप कागज पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की संख्या घट/बढ़ सकती है। **अभ्यर्थी आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं विभाग संख्या का स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें।** एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थी अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन पत्र भरकर, पृथक-पृथक लिफाफों में रखकर आयोग कार्यालय को प्रेषित करें। उक्त विज्ञापन के विषय में जानकारी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.gov.ua.nic.in/ukpsc पर भी प्राप्त की जा सकती है।

1. चिकित्सा अधिकारी सामान्य उप-संवर्ग/चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ उप-संवर्ग –

(I) विभाग संख्या – सेवा- 01/05 से सेवा- 01/07 तक।

(II) पदों की संख्या – कुल 875 पद, जिनमें 495 चिकित्सा अधिकारी सामान्य उप-संवर्ग तथा 380 चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ उप-संवर्ग के पद सम्मिलित हैं :-

पद नाम	विभाग संख्या	अनु० जाति	अनु० जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	योग
चिकित्सा अधिकारी सामान्य उप-संवर्ग (महिला)	सेवा-01/05	68	08	49	44	169
चिकित्सा अधिकारी सामान्य उप-संवर्ग (पुरुष)	सेवा-01/06	119	10	92	105	326
चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ उप-संवर्ग	सेवा-01/07	95	20	72	193	380
कुल योग		282	38	213	342	875

(III) वेतनमान – रू० 8,000/- से 13,500/-

(IV) पद का स्वरूप – राजपत्रित/अंशदायी पेंशन युक्त/अस्थायी, भविष्य में चलते रहने की संभावना।

(V) शैक्षिक अर्हताएं—

(अ) अनिवार्य :-

- चिकित्सा अधिकारी सामान्य उप-संवर्ग (महिला/पुरुष) के पदों हेतु अभ्यर्थी के पास भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से न्यूनतम एम०बी०बी०एस० उपाधि या उसके समकक्ष कोई भी उपाधि होनी चाहिए।
- चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ उप-संवर्ग के विभिन्न पदों हेतु अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता (एम०बी०बी०एस०) के अतिरिक्त विशिष्टता के अनुसार विशेषज्ञ उपाधि निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में

अंकित पदनाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित डिग्री/डिप्लोमा अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए :-

क्रम सं०	विशेषज्ञ पदनाम	शैक्षिक अर्हता	रिक्त पद
1.	2.	3.	4.
1.	सर्जन	एम०एस० (जनरल सर्जरी)	51
2.	नेत्र सर्जन	एम०एस० (आर्थोल्मिक)/ डी०ओ०एम०एस०	30
3.	एनेस्थेटिस्ट	एम०डी० (एनेस्थीसिया)/ डी०ए०	52
4.	रेडियोलॉजिस्ट	एम०डी० (रेडियोलॉजी)/ डी०एम०आर०डी०	56
5.	पैथोलॉजिस्ट	एम०डी० (पैथोलॉजी)/ डी०सी०पी०	52
6.	कार्डियोलॉजिस्ट	एम०डी० (मेडिसिन)/ डिप०कार्ड	19
7.	फिजीशियन	एम०डी० मेडिसिन	51
8.	विशेषज्ञ बालरोग	एम०डी० (पीडियाट्रिक्स)/ डी०सी०एच०	41
9.	डरमेटोलॉजिस्ट	एम०डी० (स्किन/ वी०डी०)/ डी०वी०डी०	05
10.	आर्थो सर्जन	एम०एस० (आर्थो)/ डी०आर्थो	09
11.	प्लास्टिक सर्जन	एम०एस०/ एम०सी०एच० (प्लास्टिक सर्जरी)	03
12.	न्यूरोलॉजिस्ट	डी०एम०/ एम०डी० (न्यूरोलॉजी)	03
13.	न्यूरोसर्जन	एम०एस० (न्यूरो सर्जरी)	01
14.	चेस्ट स्पेशलिस्ट	एम०डी० (चेस्ट)/ डिप० चेस्ट	02
15.	नैफ्रोलॉजिस्ट	डी०एम०/ एम०डी० (मेडिसिन) (नेफ्रोलॉजी)	02
16.	ई०एन०टी० सर्जन	एम०एस० (ई०एन०टी०)/ डी०एल०ओ०	03
योग			380

3. सेवा में नियुक्ति से पूर्व उत्तराखण्ड चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

(ब) अधिमानी :- अन्य बातों के समान होने पर, सेवा में विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों से भिन्न चिकित्सा अधिकारियों के भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा, जिसने :-

- (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या,
- (2) राष्ट्रीय कैंडिड कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

2. दन्त शल्यक (साधारण ग्रेड)

(I) विभाग संख्या - सेवा -01/08

(II) पदों की संख्या - 25 पद (जिनमें 10 पद उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, 01 पद अनु०जनजाति तथा 08 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं)

(III) वेतनमान - रू० 8000-13,500/-

(IV) पद का स्वरूप - राजपत्रित/अंशदायी पेंशन युक्त/अस्थायी, भविष्य में चलते रहने की संभावना।

(V) शैक्षिक अर्हताएं—

(अ) अनिवार्य :—

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी०डी०एस० (दन्त शल्य चिकित्सा में स्नातक) की उपाधि, या इण्डियन डेंटल कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष अर्हता।

(ब) अधिमानी :— ऐसे अभ्यर्थियों को, जिसने :—

(1) प्रादेशिक सेवा में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या,

(2) राष्ट्रीय कैंडिड कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

अर्हताएं

निर्धारित अर्हता (अनिवार्य एवं अधिमानी सहित) प्राप्तियों के प्रतिशत, आरक्षण, अनुभव आदि से सम्बन्धित दावे, प्रमाण पत्रों से समर्थित होने चाहिए, जिनके बिना ऐसा कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे आवेदन पत्र अस्वीकार किये जा सकते हैं। ऐसे दावे, आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक ही मान्य होंगे। केवल इस तिथि तक अभ्यर्थी को विज्ञापन में निर्धारित सभी अर्हताएं अवश्य धारित करना चाहिए। किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों को, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, को आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भ में अनिवार्य रूप से श्रेणी अंकित करना चाहिए। **आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के बाद श्रेणी एवं अर्हताओं में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है।** (इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।)

आयुसीमा – (i) चिकित्सा अधिकारी सामान्य उप-संवर्ग/चिकित्सा अधिकारी विशेषज्ञ उप-संवर्ग पद के लिए आयुसीमा **21 से 40 वर्ष** है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01.07.2009 है, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02.07.1969 से पूर्व का तथा 01.07.1988 के बाद का नहीं होना चाहिए। उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा के अन्तर्गत संविदा के आधार पर अतिदुर्गम/दुर्गम स्थलों पर की गई सेवा की अवधि तक उच्चतम आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जायेगी। **इस हेतु अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अतिदुर्गम/दुर्गम स्थलों पर की गई सेवा की अवधि का स्पष्ट प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।**

(ii) दन्त शल्यक (साधारण ग्रेड) पद के लिए आयुसीमा **21 से 35 वर्ष** है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01.07.2009 है, अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 02.07.1974 से पूर्व का तथा 01.07.1988 के बाद का नहीं होना चाहिए।

अधिकतम आयु सीमा में छूट:— उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, अनु०जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए (यदि पद आरक्षित हों तो) अधिकतम आयु सीमा में विद्यमान शासनादेशों के अन्तर्गत देय छूट अनुमन्य होगी। (यह छूट केवल उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी)। आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों/पूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अधिकतम आयुसीमा उनके द्वारा सेना में की गई सम्पूर्ण सेवा अवधि के अतिरिक्त 03 वर्ष और अधिक होगी। शासनादेश संख्या—कार्मिक—17/2/1981—कार्मिक—2 दिनांक 28-02-85 के प्राविधानों के अनुसार यह छूट ऐसे सैनिकों/सैन्य अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी, जो आवेदन पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि से अगले 6 माह के भीतर अवकाश ग्रहण करने वाले होंगे। शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए (यदि पद आरक्षित हों तो) विद्यमान शासनादेशों के अन्तर्गत आयु सीमा में देय छूट अनुमन्य होगी। शासनादेश संख्या— 22 /21 /1983 – कार्मिक—2 दिनांक 28-11-85 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। शासनादेश संख्या 1270/तीस—2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अनुसार 07 दिन से कम जेल जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक छूट अनुमन्य होगी।

ऐसे अभ्यर्थियों को इस विज्ञापन में मुद्रित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी आवेदन पत्र के सम्बन्धित स्तम्भ में अपनी श्रेणी का उल्लेख भी अवश्य करें अन्यथा आयुसीमा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी।

आरक्षण:- उत्तराखण्ड के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण विद्यमान शासनादेशों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड {उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002, उत्तराखण्ड {(उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, पूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993} (संशोधन) अधिनियम 2009 (शा0सं0- 133/XXXVI(3)/2009/14(1)/2009, दिनांक 16 मार्च, 2009) के प्राविधानों के अन्तर्गत, शासनादेश संख्या **2422/XXX(2)/2005 दिनांक 22 अगस्त, 2005** के अनुसार विकलांगता की चिन्हित श्रेणी में देय होगा।

इसी प्रकार शासनादेश संख्या 2461/XXX(2)/2006, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 तथा 136/XXX(2)/2009, दिनांक 27 फरवरी, 2009 के अनुसार कुशल खिलाड़ियों, शासनादेश संख्या 735/XVII(2)/2006, दिनांक 09 सितम्बर, 2006 के अनुसार उत्तराखण्ड की महिलाओं तथा शासनादेश संख्या 1270/तीस-2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को भी क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों/उप श्रेणियों को आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगा -

(अ) शासनादेश संख्या 1270/तीस-2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान 07 दिन से कम जेल जाने वाले आन्दोलनकारियों को राजकीय सेवा में अधिकतम 50 वर्ष की आयु तक नियुक्ति हेतु चयन में 05 प्रतिशत का अधिमान दिया जायेगा तथा अगले 05 वर्षों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य होगी।

(ब) शासनादेश संख्या 4020/XX (4)-7/उ0आन्दो0/2006, दिनांक 08 नवम्बर, 2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार 07 दिन या उससे अधिक अवधि के लिए जेल गये अथवा घायल हुए आन्दोलनकारियों में से निम्नलिखित श्रेणी के आंदोलनकारी के परिवार के एक व्यक्ति, जो आंदोलनकारी पर पूर्णरूप से आश्रित हो, को शासनादेश संख्या 1270/तीस-2/2004, दिनांक 11 अगस्त, 2004 के अन्तर्गत अनुमन्य 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा :-

1. वे चिन्हित आन्दोलनकारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है और सेवायोजन के इच्छुक नहीं है।
2. ऐसे चिन्हित आन्दोलनकारी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम होने के कारण स्वयं सेवा करने हेतु अनिच्छुक अथवा अक्षम है।
3. उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले आन्दोलनकारी के परिवार के एक सदस्य को उस पद की जिसके लिए आवेदन कर रहा है, निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा की शर्त पूर्ण करनी होगी।

उपरोक्तानुसार श्रेणी में आने वाले आन्दोलनकारियों द्वारा प्रार्थना-पत्र के साथ उक्त श्रेणी में आच्छादित होने का शपथ-पत्र भी दिया जायेगा, जिसकी पुष्टि सम्बन्धित विभाग/प्राधिकारी द्वारा गृह विभाग द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी। इस श्रेणी में आरक्षण का लाभ जिला अधिकारी द्वारा जारी पुष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।

उक्त श्रेणी में चिन्हित आन्दोलनकारी के परिवार के एक आश्रित सदस्य को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा प्रदान किये जाने के लिए परिवार के सदस्यों, जो कि आन्दोलनकारी पर आश्रित है, की श्रेणी में निम्नलिखित आयेंगे :-

1. पत्नी
2. आश्रित पुत्र
3. अविवाहित पुत्रियां या विधवा पुत्रियां।

उत्तराखण्ड की महिलाओं को 30 प्रतिशत, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को 02 प्रतिशत, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को 05 प्रतिशत, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ियों को 04 प्रतिशत तथा उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण विद्यमान अद्यतन शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

विभिन्न उपश्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासनादेशों के अनुसार केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। अतः आरक्षण के लाभ हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे।

आवेदन कैसे करें

आवेदन निर्धारित फार्मेट पर मोटे फुलस्केप कागज पर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में प्रस्तुत किये जाने चाहिए। यह टंकित, हस्तलिखित अथवा फोटो स्टेट हो सकते हैं। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये फार्मेट इस विज्ञापन के अन्त में मुद्रित है। सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र "सचिव, (विभाग संख्या – सेवा-01/.....) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, पिनकोड-249404" के कार्यालय में दिनांक 04 अगस्त, 2009 को सायं 6.00 बजे तक या उसके पूर्व आयोग कार्यालय के काउन्टर पर हाथों-हाथ अथवा रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा अवश्य पहुँच जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

आवेदन पत्र के साथ अवश्य होने चाहिये

- (क) निम्नलिखित अभिलेखों की स्वप्रमाणित फोटो स्टेट प्रतियाँ,
(1) आयु के प्रमाणीकरण हेतु हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल प्रमाण पत्र।
(2) निर्धारित अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हताओं की पुष्टि हेतु अंकपत्र एवं डिग्री अथवा उसके समकक्ष अर्हताओं की प्रतियाँ।
- (ख) निर्धारित शुल्क के भुगतान की पुष्टि हेतु मूल बैंक ड्राफ्ट। (अभ्यर्थी बैंक ड्राफ्ट के पीछे आवेदित पद का नाम व विभाग संख्या तथा अपना नाम एवं पता अवश्य अंकित करें।)
- (ग) आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपका हुआ एक पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, राजपत्रित अधिकारी या उस संस्था के प्रधान जहाँ अभ्यर्थी ने अंतिम शिक्षा पाई हो, या विभागाध्यक्ष जहाँ अभ्यर्थी इस समय नौकरी में हो, से प्रमाणित होना चाहिए।
- (घ) 23X10 सें0मी0 आकार के दो लिफाफे जिस पर पद का नाम, विज्ञापन संख्या एवं पूरा पता लिखा हो, तथा उसमें से एक लिफाफे पर अनिवार्य रूप से रू0 30/- मूल्य का डाक टिकट लगा हो।
- (च) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के मामलों में निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण उ0प्र0 के पत्र संख्या-11/क/विकलांगता-5989-64, दिनांक 18-4-85 के साथ पठित शासनादेश सं0-7/4/1971 -कार्मिक -2, दिनांक 29 मई, 1978 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र। (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में भी लागू है।)
- (छ) पूर्व सैनिक की पुष्टि में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- (ज) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की पुष्टि में सक्षम अधिकारी द्वारा, निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- (झ) वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के मामले में शासनादेश संख्या 22-/21/1983 कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर 1985 के अनुसार सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र। (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में भी लागू है।)
- (ट) किसी भी आरक्षित श्रेणी/श्रेणियों के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की पुष्टि में जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस0डी0एम0/तहसीलदार द्वारा, निर्धारित प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप शासनादेश संख्या 1540/कार्मिक-2/2002, दिनांक 29 मार्च, 2003 में निर्धारित किया गया है।

अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी प्रमाण पत्र संलग्न करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

सामान्य अनुदेश

- (1) अन्तिम तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अपेक्षित सूचनाओं से रहित अपूर्ण आवेदन पत्र तथा ऐसे आवेदन पत्र जिस पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, समय से प्राप्त होने के बावजूद सरसरी तौर पर निरस्त कर दिये जायेंगे। बिना निर्धारित शुल्क/निर्धारित शुल्क से कम शुल्क वाले आवेदन पत्र भी अस्वीकार कर दिये जायेंगे। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- (2) हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है।
- (3) **राष्ट्रीयता**— सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारतीय नागरिक हो, या,

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या,

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश, केन्या, युगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तंजानियाँ और जंजीबार) प्रवजन किया हो : परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप-महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

(4) वैवाहिक प्रस्थिति :-

(अ) वैवाहिक स्थिति सम्बन्धी सेवा नियमावली में उल्लिखित शब्द – ऐसा कोई पुरुष/स्त्री

(i) जिसने किसी ऐसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो जिसका पहले से जीवित पति/पत्नी हों,
या

(ii) जिसका पति/पत्नी जीवित होते हुए, उसने किसी स्त्री/पुरुष से विवाह किया हो।

उक्त सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

(5) सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा **₹ 100/-** आवेदन शुल्क देय होगा किन्तु उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति, उत्तराखण्ड के अनु0जनजाति, उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों के लिए आवेदन शुल्क **₹ 60/-** होगा। आवेदन शुल्क किसी शेडयूल्ड बैंक द्वारा आहरित एवं निर्गत एकाउन्टपेयी (Accountpayee) बैंक ड्राफ्ट जो **“सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार”** को हरिद्वार में देय हो, स्वीकार किया जायेगा। **सभी अभ्यर्थी केवल बैंक ड्राफ्ट से ही शुल्क भेजें, किसी अन्य प्रकार से भेजा गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा और आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(6) आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त तथा धारित अर्हताएं स्वीकार नहीं की जायेंगी। अर्हता के दावे के संदर्भ में बाद में कोई अन्तर पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ प्राप्त आवेदन शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(7) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता। साक्षात्कार की तिथि की सूचना बाद में भेजी जायेगी।

(8) किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक हो और आयोग के लिए समस्त अर्ह उम्मीदवारों का साक्षात्कार सुविधाजनक/सम्भव न हो तो आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों द्वारा साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की छँटनी कर सकता है :-

(क) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं तथा अनुभव की अपेक्षा अधिक योग्यता और अनुभव के आधार पर या,

(ख) संगत क्षेत्र में अनुभव के आधार पर या ,

(ग) अनिवार्य अर्हता प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर या,

(घ) प्राक्चयन परीक्षण/स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करके। **इसलिए उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख आवेदन पत्र में करें और उक्त योग्यताओं एवं अनुभव के समर्थन में प्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतियां अवश्य संलग्न करें।**

(9) स्क्रीनिंग टेस्ट कराये जाने की दशा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक पद्धति अपनायी जायेगी।

(10) मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता साक्षात्कार के समय जाँच के लिए होगी। उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा जहाँ उन्होंने अंतिम शिक्षा पाई हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करना होगा।

- (11) ऐसे अभ्यर्थियों को जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत हो, साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (12) अभ्यर्थी की पद हेतु पात्रता/अर्हता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।
- (13) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हो जायें कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।
- (14) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों की श्रेणी में केवल पुत्र, पुत्री तथा पौत्र (पुत्र का पुत्र) एवं अविवाहित पौत्रियां ही आती हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से केवल उपर्युक्त सम्बन्ध ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अभ्यर्थी को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का वास्तव में आश्रित भी होना चाहिए। अभ्यर्थियों का ध्यान शासनादेश दिनांक 22-1-1982, 8-3-1983 तथा शासनादेश संख्या 3014/कार्मिक-2, 1982 दिनांक 18-10-82 के साथ पठित शासनादेश संख्या-6/1972- कार्मिक-2 दिनांक 15-1-83 की ओर आकृष्ट करते हुए सूचित किया जाता है कि अब उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 4/3/82-का-2/1997 दिनांक 26-12-97 के निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करें। (जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में भी लागू है।)
- (15) उम्मीदवार का मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जिससे सेवा के रूप में उसके कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में कोई बाधा पड़ने की संभावना हो।
- (16) साक्षात्कार परीक्षा में सफल होने पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि शासन का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाएं, यह समाधान न हो जाए कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (17) किसी अनाचार जैसे किसी महत्वपूर्ण सूचना के छिपाने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन के सम्बन्ध में समर्थन प्राप्त करने आदि के कृत्यों में लिप्त अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त करने का अधिकार आयोग को होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग के आगामी चयनों से 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवारित भी किया जा सकता है।
- (18) कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इस निर्देश की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है और उनके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।
- (19) पता परिवर्तन की सूचना आयोग को तत्काल भेजी जाये। आयोग को भेजे जाने वाले पत्रों में आवेदित पद का नाम विज्ञापन संख्या तथा जन्म तिथि का उल्लेख अवश्य करें।
- (20) एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन पत्र होने पर अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने पर भी सभी आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।
- (21) हस्ताक्षर न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (22) लोक सेवा आयोग परिसर में मोबाइल फोन/संचार तंत्र प्रतिबन्धित है।**

(चन्द्र शेखर भट्ट)
सचिव।

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप
उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्रीनिवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर..... जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
मुहर
पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी
मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्रीनिवासी ग्राम.....तहसील
..... नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की
..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्रामतहसील नगर जिलामें सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
पदनाम
मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी
मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

**CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAPPED
OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER**

No.....

Dated

HANDICAP CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH THE G.O. No. 7/4/1971 KARMIK-2 (U.P.) DATED MAY 20,1978. We Examined Sri/Smt./Km. aged about years on of/ Daughter of/Wife ofresident of whose Signature/ L.T.I./R.T.I., is given below and certify that he/she is a case of We certify that he/she is permanently physically handicapped person.

Signature of Candidate

Orthopaedic
Surgeon (Member)
Eye Specialist (Member)
Chief Medical Officer (President)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्रामतहसील
..... नगर जिलाउत्तर प्रदेश लोक सेवा
(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण)
अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और
श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र/
अविवाहित पौत्री उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर,1986
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4

फार्म-1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नामराज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री से दिनांक(स्थान का नाम) में आयोजितक्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट :- यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) (सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री..... निवासी(पूरा पता)..... ने दिनांक.....से दिनांक तक (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट का स्थान).....आयोजित राष्ट्रीय में (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पद
संस्था का नाम
मुहर

नोट:- यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी (पूरा पता).....
विश्वविद्यालय की कक्षा(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय
(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेलकूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

नाम.....

पद नाम

संस्था का नाम.....

मुहर

नोट :- यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये) डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा उत्तराखण्डराज्य स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्रीनिवासी (पूरा पता).....में
.....स्कूल में कक्षा.....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में
.....स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक

नाम.....

पद नाम

संस्था का नाम.....

मुहर

नोट:- यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार आवेदन –पत्र

आवेदन शुल्क का विवरण (मूल बैंक ड्राफ्ट अवश्य संलग्न करें)

बैंक ड्राफ्ट का नम्बर एवं जारी करने की तिथि	बैंक का नाम स्थान/ जिला सहित	धनराशि	कार्यालय की टिप्पणी
1	2	3	4

1. विज्ञापन संख्या
2. विभाग संख्या.....
3. पद का नाम
4. अभ्यर्थी का पूरा नाम
(1) हिन्दी में
- (2) अंग्रेजी में
5. पिता/पति का नाम
6. जन्मतिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार).....
(प्रमाण पत्र की स्वतः प्रमाणित फोटो प्रति भी संलग्न करें)

केवल वक्ष तक की
एक नवीनतम
पासपोर्ट फोटो
(अभिप्रमाणित) यहाँ
पर चिपका दें।

7. क्या अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी है ? हाँ/नहीं
8. आरक्षण की श्रेणी जिसका लाभ चाहते हैं :- (कृपया ✓ का निशान लगायें)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
उत्तराखण्ड अनु0जा0	उत्तराखण्ड अ0ज0जा0	उत्तराखण्ड पिछड़ी जा0	उत्तराखण्ड स्व0सं0से0 के आश्रित	उत्तराखण्ड विकलांग	उत्तराखण्ड सैन्य विनियोजित/पूर्व सैनिक

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
उत्तराखण्ड महिला	उत्तराखण्ड कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी/आश्रित

9. (क) स्थाई पता –.....

(ख) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता

(पता परिवर्तन होने की सूचना तत्काल दें)

10. शैक्षिक अर्हताओं का क्रमवार विवरण (तत्सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि0वि0	वर्ष	श्रेणी	पूर्णांक/प्राप्तांक	प्रतिशत	संस्था का नाम
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
एम0बी0बी0एस0/समकक्ष बी0डी0एस0/समकक्ष						
स्नातकोत्तर/एम0डी0/ एम0एस0/समकक्ष						
अन्य						

11. शोध कार्य एवं अन्य विवरण (यदि कोई हो)
 12. अनिवार्य/अधिमानी अर्हताओं संबंधित अन्य विवरण (यदि कोई हो)

अभ्यर्थी अपने दावे के सम्बन्ध में प्रमाण सहित विवरण दे।

- (अ) पद के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हता (अ)
 (ब) पद के लिए निर्धारित अधिमानी अर्हता (ब)

13. अनुभव का विवरण (तत्सम्बन्धी सभी प्रमाण पत्र संलग्न करें) :-

पदनाम	वेतनमान	सेवावधि (प्रारम्भ से अब तक)	कुल अनुभव	संस्था का नाम (सरकारी/गैर सरकारी)	अन्य

4. क्या अभ्यर्थी ने अपना पता लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड तथा अपना पता लिखे हुए 23X10 सें0मी0 आकार के दो लिफाफे संलग्न किये हैं ? (उसमें से एक लिफाफे पर अनिवार्य रूप से रु0 30/- मूल्य का डाक टिकट लगा हो)। उत्तर हां या नहीं में अंकित करें -

घोषणा

- मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित की गयी पात्रता की शर्तें सावधानी पूर्वक पढ़ी हैं यह मुझे मान्य है और मैं वह शर्तें पूरी करता/करती हूँ।
- मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सारे विवरण/सूचनायें सत्य एवं सही हैं और मैंने इस विवरण/सूचनाओं में कोई तथ्य नहीं छिपाया है। यदि कोई विवरण/सूचना असत्य या गलत पाई जाये या कोई तथ्य मेरे द्वारा छिपाया जाना पाया जाये तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाये। यदि नियुक्ति पाये जाने के उपरान्त ऐसी स्थिति प्रकाश में आये तो मेरी सेवायें समाप्त कर दी जाये।
- मैं राज्य सरकार/भारत सरकार का नियमित कर्मचारी हूँ/नहीं हूँ और मैंने अपना आवेदन भेजने की सूचना सक्षम अधिकारी को दिनांक को विधिवत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रस्तुत कर दी है।

संलग्नकों की संख्या -

- अंकों में
- शब्दों में
- विवरण.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
 (अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने
 पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा)

दिनांक

स्थान



Advertisement No. (03/D.R./Sewa-1/2009-10)
UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION,
Gurukul Kangri, Haridwar - 249404

Date of Advertisement: 04 July, 2009

Last date for the receipt of application form: 04 August, 2009

Application forms are invited in the prescribed format as enclosed (in a good quality fullscape paper) from citizens of India for selection on following posts under Medical, Health & Family Welfare Department, Government of Uttarakhand. Total number of vacancies may increase or decrease. Candidate must mention the name of the applied post and Category Code on the cover of envelope. Candidate who wants to apply for more than one post shall fill separate application forms for each post and send it to the Commission in separate envelopes. Information about this advertisement can also be accessed from commission's website www.gov.ua.nic.in/ukpsc

1- Medical Officer General sub-cadre / Medical Officer Specialist sub-cadre

(I) Category Code – Sewa-01/05 to Sewa-01/07

(II) Number of Posts – Total 875 posts including 495 posts of Medical Officer General sub-cadre and 380 posts of Medical Officer Specialist sub-cadre

Name of Post	Category Code	S.C.	S.T.	O.B.C.	General	Total
Medical Officer General sub-cadre (Female)	Sewa- 01/05	68	08	49	44	169
Medical Officer General sub-cadre (Male)	Sewa- 01/06	119	10	92	105	326
Medical Officer Specialist sub-cadre	Sewa- 01/07	95	20	72	193	380
Sum Total		282	38	213	342	875

(III) Pay Scale – Rs. 8,000 – 13,500 /-

(IV) Nature of Post – Gazetted / Contributory pension / Temporary, likely to continue in future.

(V) Educational Qualification –

(a) Essential –

1. For the post of Medical Officer General sub-cadre (Male) & (Female), a candidate must have M.B.B.S. degree or an equivalent degree of a University recognized by the Medical council of India.
2. For the post of Medical Officer Specialist sub-cadre the minimum academic qualification shall be degree / diploma or equivalent qualification recognized under Indian Medical Council Act, 1956 in addition to M.B.B.S. as is shown in column 3 for designation shown in column 2 -

Sl.no.	Designation	Educational Qualification	Number of Posts
1.	2.	3.	4.
1.	Surgeon	M.S. (General Surgery)	51
2.	Ophthalmic Surgeon	M.S.(Ophthalmic) / D.O.M.S.	30
3.	Anaesthetist	M.D.(Anaesthesia) / D.A.	52
4.	Radiologist	M.D.(Radiology) / D.M.R.D.	56
5.	Pathologist	M.D.(Pathology) / D.C.P.	52
6.	Cardiologist	M.D.(Medicine) / Dip. Card	19
7.	Physician	M.D.(Medicine)	51
8.	Paediatrician	M.D.(Paediatrics) /D.C.H.	41
9.	Dermatologist	M.D. (Skin / V.D.) D.V.D.	05
10	Orthopaedic Surgeon	M.S.(Orth) / D.Orth	09
11.	Plastic Surgeon	M.S./M.C.H. (Plastic Surgery)	03
12.	Neurologist	D.M. / M.D. (Neurology)	03
13.	Neuro Surgeon	M.S.(Neuro Surgery)	01
14.	Chest Specialist	M.D.(Chest) / Dip. Chest	02
15.	Nephrologist	D.M. / M.D. (Medicine) (Nephrology)	02
16.	ENT Surgeon	M.S. (ENT) / D.L.O.	03
Total			380

3. Prior to appointment in service, registration with the Uttarakhand Medical Council is mandatory.

(b) Preferential – All other things being equal for direct recruitment to the post of Medical officers other than Specialist Medical Officers, preference will be given to those candidates who have -

1. Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or,
2. Obtained a 'B' certificate of National Cadet corps.

2. Dental Surgeon (Ordinary Grade) -

(I) Category Code – Sewa-01/08

(II) Number of Posts – 25 (10 seats are reserved for S.C., 01 for S.T. and 08 for O.B.C. candidates of Uttarakhand)

(III) Pay Scale – Rs. 8000/- to 13,500/-

(IV) Nature of Post – Gazetted / Contributory pension / Temporary, likely to continue in future.

(V) Educational Qualification –

(a) Essential – For the post of Dental Surgeon (Ordinary Grade), a candidate must have B.D.S. (Bachelor of Dental Surgery) degree from a recognized University or an equivalent qualification recognized by Indian Dental Council.

(b) Preferential - A candidate who has :-

I. Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or,

II. Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Eligibility Criteria

All claims w.r.t. educational qualifications (Essential as well as preferential), percentage of marks obtained, reservation category, experience etc. should be supported by requisite certificates, enclosed along with the application form, failing which any such claim will not be entertained and all such application are liable to be rejected. Only those claims will be accepted which are completed before the last date of submission of application form. Candidate must fulfill all the required eligibilities for the advertised post on the last date of submission of application form. Candidate falling under any reservation category must mention his / her category clearly at the appropriate column of application form.

Any request for change in reservation category and eligibilities, after submission of application is not allowed. (Any correspondence in this concern will not be accepted.)

Age limit – 1. 21 to 40 years for the post of Medical Officer General sub-cadre / Medical Officer Specialist sub-cadre. **The cut off date for age calculation is July 01, 2009.** Candidate must have attained the age of 21 years and must not have crossed the age of 40 years on July 01, 2009 i.e. they must have not been born earlier than July 02, 1969 and not later than July 01, 1988. Upper age limit will be relaxed according to be duration of the service rendered at Distant / Far Distant Places, on contract basis under Uttarakhand Medical Services. **Candidate will have to attach a certificate along with the application form issued by competent authority clearly mentioning the duration of the service rendered at Distant / Far Distant Places.**

2. 21 to 35 years for the post of Dental Surgeon (Ordinary Grade). **The cut off date for age calculation is July 01, 2009.** Candidate must have attained the age of 21

years and must not have crossed the age of 35 years on July 01, 2009 i.e. they must have not been born earlier than July 02, 1974 and not later than July 01, 1988.

Relaxation in Upper Age Limit – Relaxation in Upper age limit for candidates belonging to Scheduled castes of Uttarakhand, Scheduled Tribes of Uttarakhand, Other backward classes of Uttarakhand and Dependent of freedom fighters of Uttarakhand (if posts are reserved), will be permissible in accordance with the provisions of relevant Government Orders. (Only domiciles of Uttarakhand State are entitled for such age relaxation.) The upper age limit will be relaxed by 03 years in addition to service rendered in army for the Emergency commissioned officers / short service commissioned officers / Ex-army personnel. According to G.O. No. 17/2/1981 – Karmik – 2 dated 28-02-1985 this age relaxation will also be applicable for such Army personnel / Army officers who are supposed to be discharged within 06 months from the last date of submission of this application form. If seats are reserved, the upper age limit for physically handicapped candidates of Uttarakhand will be relaxed in accordance with the provisions of relevant Government Orders. Upper age limit will be relaxed by 05 years also for the skilled players of classified games of National and International Level in accordance with G.O. No. 22/21/1983 – Karmik – 2, dated 28-11-1985. Upper age limit in service shall be relaxed up to 50 years of age for those Uttarakhand Rajya Andolankaris who were imprisoned for less than 07 days, according to the G.O. No. 1270 / Thirty – 2 / 2004, dated 11 August, 2004.

All those candidates claiming any of the above age relaxations must obtain certificate from competent authority on the prescribed format given with this advertisement and enclose along with their application form. No relaxation in age limit will be provided unless the category is not filled appropriately at the relevant column in the application form.

The candidate claiming reservation in more than one category / sub category will be entitled to only one concession whichever is more beneficial to them.

Reservation – The reservation for Scheduled Castes of Uttarakhand, Scheduled tribes of Uttarakhand and other backward class candidates of Uttarakhand shall be worthy of being admitted in accordance with the provisions of relevant Government Orders. Likewise, horizontal reservation will be applicable in accordance with the provisions of Uttarakhand {Uttar Pradesh Public Service (Reservation for physically handicapped, Dependent of freedom fighters & Ex. Servicemen) Act, 1993} Adaptation & Modification order, 2002; Uttarakhand {Uttar Pradesh Public Service (Reservation for physically handicapped, Dependent of freedom fighters and Ex. Servicemen) Act, 1993}(Amendment) Act, 2009 (G.O. No. 133/XXXVI(3)/2009/14(1)/2009, dated 16 March, 2009) under the categories of disability indicated by G.O. No. 2422/XXX(2)/2005 Dated 22 August, 2005.

Likewise, horizontal reservation will be applicable in accordance with the provisions of Government Order no. 2461/ XXX(2)/2006 Dated 06 October, 2006

and 136/XXX(2)/2009, dated 27 Feb, 2009 for Skilled players of Uttarakhand, Government Order no. 735/ XVII(2)/2006 Dated 09 September, 2006 for females of Uttarakhand, and Government Order no. 1270/Thirty-2/2004 Dated 11 August, 2004 for Uttarakhand Rajya Andolankaris in following manner:-

- (a) According to G.O. No. 1270 /Thirty- 2/ 2004, dated 11 August, 2004, those who were imprisoned for less than 07 days during Uttarakhand Rajya Andolan will be provided weightage of 5% in selection, till 50 years of age, and 10% horizontal reservation for next 05 years will be applicable in Government Service.
- (b) According to G.O. No. 1270/ Thirty-2/ 2004, 11 August, 2004, 10% horizontal reservation will be applicable to those Uttarakhand Rajya Andolankaris who were imprisoned for 07 days or more, or one member of the family who is totally dependent on the following categories of Andolankaris who were injured during Rajya Andolan in accordance with G.O. No. 4020/XX(4)-7/Uttarakhand Andolankari/2006 Dated 08 November, 2006 :-
 - (i) Those earmarked Rajya Andolankaris who have crossed 50 years of age and unwilling for Employment.
 - (ii) Those earmarked Rajya Andolankaris who are unwilling or unable for service due to physical & mental disability.
 - (iii) The one totally dependent on Uttarakhand Rajya Andolankari, according to aforementioned category must fulfil all the educational qualification and age limit criteria for the applied post.

Andolankaris falling under above category will have to render an affidavit of being covered in this category along with their application form, which will be confirmed by concerned department / Authority, in accordance with the guidelines issued by Home department, through concerning District Magistrate. To get the benefit of reservation in this category, it is necessary to present the certificate issued by District Magistrate.

10 % horizontal reservation for Andolankaris indicated in above category is applicable only for the following Dependent family members –

I. Spouse II. Dependent son III. Unmarried Daughter or widow Daughter

Horizontal reservation 30% for Females of Uttarakhand, 02% for Dependent of freedom fighters of Uttarakhand, 10% for Uttarakhand Rajya Andolankaris, 05% for Ex. Servicemen of Uttarakhand, 04% for Skilled players of Uttarakhand and 03% for Physically handicapped candidates of Uttarakhand will be permissible in accordance with the provisions of relevant Government Orders.

According to the relevant Government Orders the benefit of horizontal reservation under different sub-categories will only be applicable for the candidates who are domicile of Uttarakhand State. Therefore, to avail the benefit of reservation, candidate must attach certificate, issued by competent authority.

How to Apply

Application(s) should be made on good quality full scape paper in either Hindi or English only. The format of application form is enclosed with this advertisement. The applications can either be typed out, or written in hand neatly or photo state but format should be the same as published. Application form completed in all respect must reach the “**Secretary (Category Code – Sewa-01 /.....), Uttarakhand Public Service Commission, Gurukul-Kangri, Haridwar – 249404**” either by registered post / Speed post or by hand on or before 6:00 p.m. **August 04, 2009**. Application forms through any other means will not be accepted.

Documents To Be Attached With The Application Form

- A.** Self attached photo copies of following documents –
1. High School / Higher Secondary School Certificate showing age.
 2. Mark Sheets and Certificates confirming essential and preferential qualifications
- B.** Original Copy of Bank Draft of requisite amount for remittance of fees. (The candidate should write the name of the post applied for, category code and their name with postal address on the reverse side of the Bank Draft.)
- C.** One recent passport size photograph pasted on the space provided in application form, to be attested by Gazetted Officer or Head of the institution last attended or Head of the Department where they are serving presently.
- D.** Two envelopes of size 23 x 10 cm., one of the envelopes should be affixed with postal stamp Rs. 30/- and both envelopes should be subscribed by the Name of Applied Post (Category Code), Advertisement No. and Name of the Candidate with full address.
- E.** For Physically Handicapped Candidates of Uttarakhand, certificate issued by Medical Board in prescribed format, according to letter no. 11/क/विकलांगता-5989-64 dated 18-04-85 of Director, Medical, Health & Family Welfare, Uttar Pradesh read with G.O. no. 7/4/1971-Karmik-2, dated 29 May, 1978. (As applicable on Uttarakhand Under U.P. Reorganization Act, 2000)
- F.** For Ex.Servicemen of Uttarakhand certificate issued by competent authority.
- G.** For Dependent of Freedom Fighthers of Uttarakhand, certificate issued by competent authority in prescribed format, enclosed with this advertisement.
- H.** For Skilled Players of classified games, certificate issued by competent authority accoding to G.O. No. 22 / 21 / 1983-Karmik-2, dated 28 Nov. 1985. (As applicable on Uttarakhand Under U.P. Reorganization Act, 2000)
- I.** Cetificate issued by District Magistrate / Additional District Magistrate / City Magistrate / S.D.M. / Tehsildar for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Castes of Uttarakhand & other reserved categories in prescribed format, enclosed with this advertisement, according to G.O. No. 1540/karmik-2/2002, dated 29 March, 2003.

Candidate must enclose all relevant certificates in support of their claims along with the application form otherwise their application will be rejected.

GENERAL INTRUCTIONS

1- The application form will not be accepted after last date of submission of the application. Incomplete, erroneous applications and applications not signed by the candidates, even if received within time will summarily be rejected. Application without requisite fees / lesser fees will also be rejected.

2- Knowledge of Hindi language is essential.

3- NATIONALITY : A candidate for direct recruitment to a post in the service must be –

a. A citizen of India ; or

b. A Tibetan refugee, who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

c. A person of Indian origin, who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility, granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

4- Marital Status – The provision in Service Rule regarding Marital Status –

(i) A male candidate, who has more than one wife living, or

(ii) A female candidate, who has married a man, already having a wife living, shall not be eligible for appointment to a post in the service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5- Application fees for candidates of all categories will be Rs. 100/- except for Scheduled Castes of Uttarakhand, Scheduled tribes of Uttarakhand, Physically Handicapped of Uttarakhand and Ex.Army men of Uttarakhand, who have to pay application fees Rs. 60/-. Application fees will be accepted in the form of account payee Bank Draft drawn and issued by any Scheduled Bank in favour of “Secretary, Uttarakhand Public Service Commission, Haridwar” payable at Haridwar.

Candidate must send application fees in the form of Bank Draft only, and remittance of fees in any other form will not be accepted.

- 6- Any qualification obtained after last date of submission of application will not be accepted. Any discrepancy found in the claims, as declared by candidate, can invite rejection of application. Application fees once received can not be refunded in any case.
- 7- Minimum qualification is not sufficient for being called for interview and mere eligibility does not entitle a candidate to be called for interview or selection. Expected date of interview will be communicated to the candidates in due course.
- 8- If on the basis of the advertisement the number of application forms received is large and it is not feasible / possible for the commission to interview all the candidates then the Commission can apply one of the following manner to shortlist the candidates for the purpose of interview :-
 - a. On the basis of more merit and experience rather than minimum essential qualification given in the advertisement, or,
 - b. On the basis of experience in relevant area, or,
 - c. On the basis of experience gained after or before obtaining minimum essential qualification, or,
 - d. By conducting screening test. **Therefore candidates are advised to mention and attach attested / self attested copies of all the acquired relevant qualifications and experiences in addition to the minimum essential qualification with the application form.**
- 9- In case screening test conducted, negative marks will be awarded for wrong answers in the process of evaluation of objective type questions.
- 10- Original certificates are required for verification at the time of interview. Candidates will then also be required to furnish copies of passport size photographs attested by their head of department or head of institution last attended or by a Gazetted officer.
- 11- Candidates serving under central or state government will have to produce “No OBJECTION CERTIFICATE” from their employer at the time of interview.
- 12- The decision of the commission as to the eligibility or otherwise of a candidate will be final.
- 13- The Commission do not advise candidates about their eligibility, they should therefore read the advertisement carefully and apply only when are satisfied that they are qualified in terms of advertisement.
- 14- Only sons, daughters, grandsons and unmarried grand daughters of freedom fighters will fall in the category of their dependents. Mere relationship with the freedom fighter is not sufficient. Such candidates must also be dependent on the freedom fighter. Attention of candidates is drawn to G.O. No. 6/1972/karmik-2,

dated 15-01-1983 read with G.O of even no. dated 22-1-1982, 8-3-1983 and G.O. No. 3014/Karmik-2, 1982, dated 18-10-1982.

The candidates of this category are also required to obtain and submit certificate relating to reservation from District Magistrate on prescribed format as per G.O.No. 4/3/82-Ka-2/1997 dated 26-12-97[As applicable on UTTARAKHAND under U.P. Reorganization Act, 2000]

- 15- No candidate shall be appointed to a post in the service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties.**
- 16- Being successful in interview does not entitle a candidate for appointment, until the Government, after completion of such investigation, as it may consider necessary, shall satisfy itself that the candidate is suitable in all respect for appointment.**
- 17- The Commission Reserves the right of canceling the candidature of any candidate found indulging in any malpractice i.e. hiding any Material information, Misrepresentation of facts or canvassing for candidature. All such candidates will liable to be debarred from all examinations and selections up to a period of 5 years.**
- 18- The Commission reserves the right of canceling the candidature of any candidate found indulging in any malpractice i.e. copying in examination hall or indiscipline and misbehavior. On violation of this instruction, the candidate may be debarred from this examination as well as future examinations and a criminal proceeding may also be initiated.**
- 19- Change in address should be inform promptly to the Commission. In all communication to the Commission, candidate must mention the Name of Applied Post, Advertisement Number and Date of Birth also.**
- 20- In condition of being more than one application form in one envelope or being application forms of more than one advertisement in one envelope, all application forms shall be deemed to be rejected.**
- 21- Applications not signed by the candidates will summarily be rejected.**

22- Mobile Phones / IT Gadgets are not allowed inside the premises where the examination is being conducted / premises of Uttarakhand Public Service Commission.

(Chandra Shekhar Bhatt)
Secretary

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप
उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
.....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
(जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि
उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई
है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका
परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर.....
.....जिला में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
मुहर
पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी
मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम.....
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य
की पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में
प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं
है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड
के ग्रामतहसील नगर जिला
में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर
दिनांक : पूरा नाम
पदनाम
मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मैजिस्ट्रेट/सिटी
मैजिस्ट्रेट/उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार
/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

**CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAPPED
OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER**

No.....

Dated

HANDICAP CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH THE G.O. No. 7/4/1971 KARMIK-2 (U.P.) DATED MAY 20,1978. We Examined Sri/Smt./Km. aged about years on of/ Daughter of/Wife ofresident of whose Signature/ L.T.I./R.T.I., is given below and certify that he/she is a case of We certify that he/she is permanently physically handicapped person.

Signature of Candidate

Orthopaedic
Surgeon (Member)
Eye Specialist (Member)
Chief Medical Officer (President)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिलाउत्तर प्रदेश
लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए
आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और
श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र/
अविवाहित पौत्री उपयुक्त अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम
सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी

(सील)

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र
शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर,1986
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण-पत्र के फार्म-1 से 4

फार्म-1

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नामराज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मज श्रीसे दिनांक
(स्थान का नाम) में आयोजितक्रीड़ा/ खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पद

संस्था का नाम

मुहर

नोट :- यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-2

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम)
राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री..... निवासी(पूरा पता)..... ने दिनांक.....से दिनांक तक (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट का स्थान).....आयोजित राष्ट्रीय

.....में (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पद

संस्था का नाम

मुहर

नोट:- यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम.....राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री.....निवासी (पूरा पता).....
विश्वविद्यालय की कक्षा(स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय
(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेलकूदविश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।

स्थान.....
दिनांक

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद नाम
संस्था का नाम.....
मुहर

नोट :- यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म-4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा उत्तराखण्डराज्य स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्रीनिवासी (पूरा पता).....में ..
.....स्कूल में कक्षा.....(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में
.....स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट मेंस्थान प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान.....
दिनांक

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पद नाम
संस्था का नाम.....
मुहर

नोट:- यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

APPLICATION FORMAT

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION, HARIDWAR Application Form

Detail of application fees (Attach original copy of Bank Draft)

Bank Draft No. & Date of Issuance	Name of Bank with Place/District	Fees Paid (Rs.)	Comment (For Office use)
1	2	3	4

1. Advertisement No.
2. Category Code.....
3. Name of Post
4. Full Name of Candidate (In Capitals)
 - (1) In English
 - (2) In Hindi
5. Father's / Husband's Name

Affix a recent
passport size
duly attested
photograph.

6. Date of Birth (According to Matriculation Certificate)
(Attach self attested photo copy of the certificate)

7. Whether Domicile of Uttarakhand State ? Yes / No

8. Reservation category/categories to which you belong - (Please tick ✓)

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uttarakhand S.C.	Uttarakhand S.T.	Uttarakhand O.B.C.	Uttarakhand D.F.F	Uttarakhand P.H.	Uttarakhand Ex.Armyman
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Uttarakhand Female	Uttarakhand Skilled Player		Uttarakhand Rajya Andolankari/Dependent		

9. (a) Permanent Address
-
- (b) Address for Correspondence
-

(Promptly intimate change in address)

10. Details of Academic Qualification (Attach all relevant certificates) :-

Examination Passed	Board / University	Year	Div./ Class	Max. Marks/ Marks Obtained	% of Marks	Name of Institution
High School						
Intermediate						
M.B.B.S./Equivalent B.D.S./Equivalent						
Post Graduation/M.D./ M.S./Equivalent						
Other						

11. Research work and other details (If any) -
12. Other details about Essential and Preferential Qualifications (If any) -
(Enclose all certificates to substantiate the claims)
- (a) Essential Qualification for applied post (a)
- (b) Preferential Qualification for applied post (b)
13. Detail of Experience (Attach all relevant certificates) :-

Designation	Pay Scale	Duration of Service		Total Experience	Name of Institution (Govt. / Private)	Others
		From	To			

4. Whether candidate has attached one self addressed Post Card and two self addressed envelopes of size 23 x 10 cm. ? (One envelope must be affixed with postal stamp Rs. 30/-). Please write Yes /No

Declaration

- 1- I hereby declare that I have carefully read the conditions of eligibility in the advertisement. I agree and fulfil all the conditions.
- 2- I hereby declare that all the statements mentioned in this application are true and correct to the best of my knowledge and nothing has been concealed. In the event of any information being found false or incorrect or concealed by me, my candidature for the post may be terminated. Ineligibility being detected after appointment, my service may tend to terminate.
- 3- I am / am not a regular employee of State Government / Central Government. I have informed the competent authority on dateabout this application to obtain No Objection Certificate.

Number of enclosures -

1. In Numerals
- In Words
2. Details

Signature of the Candidate
(Unsigned application form
will be rejected)

Date

Place